रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 496] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1977/अग्रहायण 3, 1899

No. 496] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1977/AGRAHAYANA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDERS

New Delhi, the 24th November 1977

S.O. 784(E)/18A/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as the India Machinery Company Limited, Howrah, had been taken over for a period upto and inclusive of the 24th November, 1977;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1979.

[No. F. 25/26/72-CUC]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1977

का० आ० 784(अ)/18क/उ० वि० वि० अ०/77.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 725(ऊ)/18क/उ०वि०वि०अ०/72 तारीख 25 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 24 नवम्बर, 1977, जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, तक की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया था ;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि यह लोक हित मे है कि उक्त आदेश दो वर्ष की और अवधि तक प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951(1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 24 नवम्बर, 1979, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की और अवधि तक प्रभावी बना रहेगा ।

[सं० फा० 25/26/72–सी०य०सी०]

S.O. 785(E)/18FB/IDRA/77.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 35(E)/18/FB/IDRA 73, dated the 19th January, 1973 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette (other than those relating to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto the 18th January, 1974 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto the 13th January, 1974;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time upto the 24th November, 1977;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto and inclusive of the 18th January, 1978;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 18th January, 1978.

[No. F. 25/26/72-CUC]

G. V. RAMAKRISHNA, Addl. Secy.

का० आ० 785(अ)/18ख ख/उ० वि० वि० अ०/77.—भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० 35(अ) 18ख ख/उ०वि०वि०अ०/73, तारीख 19 जनवरी, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार मे, उद्योग (विकास और

विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि राजपत्र मे उक्त आदेश के प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी या कोई संविदाएं, संपत्ति के हस्तान्तरण-पत्र, करार, व्यवस्थापन, पंचाट या अन्य लिखतें (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओ से संबंधित हैं), जिनका मेसर्स इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा, एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू होते हो 18 जनवरी, 1974 तक निलम्बित रहेगी और उक्त तारीख के पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व 18 जनवरी, 1974 तक निलंबित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अवधि समय समय पर 24 नवम्बर, 1977 तक बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1978, जिसमे यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की अवधि तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 18 जनवरी, 1978, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक बढ़ाती है ।

[सं० फा० 25/26/72—सी यू सी]

बी० बी० रामकृष्ण, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977